प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 23.01.2025 को कोलकाता में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **टीपू सुल्तान और अन्य** के मामले में अनधिकृत कॉल सेंटर के संचालन में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, बिधाननगर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि टीपू सुल्तान, मोहम्मद तस्फीन, सोमनाथ दास, राजेश गोयनका और अन्य अपने अन्य सहयोगियों के साथ मेसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (वीबीएसपीएल) के कार्यालय में एक अनधिकृत कॉल सेंटर चला रहे थे, जो तीसरी मंजिल, साल्ट टेक पार्क, ब्लॉक–डीएन–18, सेक्टर–वी, साल्ट लेक, कोलकाता–700091 में स्थित था। यह भी पता चला है कि मेसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के उक्त व्यक्ति/कर्मचारी इंटरनेट पर किए गए कॉल का उपयोग अंतरराष्ट्रीय (वीओआईपी) कॉल करने के लिए कर रहे थे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाम पर सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के बहाने जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम आदि विभिन्न देशों के व्यक्तियों को कॉल कर रहे थे। उन्होंने बिना कोई सेवा दिए ग्राहकों को धोखा दिया। टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर की मदद से, उन्होंने ग्राहकों के कंप्यूटरों तक पहुंच प्राप्त की और इस तरह ग्राहकों को ब्लैकमेल किया, जिससे उन्हें गलत लाभ हुआ और निर्दोष ग्राहकों को गलत नुकसान हुआ। ईडी की जांच से पता चला है कि सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने की आड़ में विभिन्न देशों में निर्दोष ग्राहकों से धोखाधड़ी से प्राप्त धन को गबन, रूटिंग और पार्क करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया था।

इसके अलावा तलाशी में **27.90 लाख रुपये** की अस्पष्टीकृत नकदी, **1.79 करोड़ रुपये** के आभूषण और विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अलावा, मेसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश गोयनका, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं से संबंधित 35 बैंक खातों में रखे गए **28.4 लाख रुपये** के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।